न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : बीनू देवल (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या : 315/2025 (2025/499)

अनवान

1. रमेशचन्द्र पिता रामकुमार ब्राहमण नि.जे – 4 कुम्भानगर चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकुमार पिता धनराज ब्राहमण नि. 12 – सी कुम्भानगर चित्तौडगढ तह.व जिला चित्तौडगढ
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब, चित्तौडगढ

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : संजय मौड अधिवक्ता प्रार्थी
रामकुमार शर्मा विपक्षी संख्या 1

निर्णय दिनांक 19-03-26

प्रार्थना पत्र का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध विपक्षीगण एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पाटनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील चित्तौडगढ मे अवस्थित खाता संख्या 33 मे वर्णित आराजीयात 281, 282, 283, 480, 481, 484, 485, 486, 528, 535, 537 कुल किता 11 कुल रकबा 8.91 हे. खाता संख्या 175 मे वर्णित आराजीयात 536, 538 कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे. , खाता संख्या 195 मे वर्णित आराजीयात 530, 531, 532 कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 हे. , खाता संख्या 188 मे वर्णित आराजीात 284, 285 कुल किता 02 कुल रकबा 2.44 हे. , खाता संख्या 32 मे वर्णित आराजीयात 534, 915/332 कुल किता 02 कुल रकबा 0.73 हे. , खाता संख्या 34 मे वर्णित आराजी न 533 रकबा 0.12 हे. एंव इसी तरह ग्राम सावा पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 680 मे वर्णित आराजी नं 1542 रकबा 0.95 हे ., खाता संख्या 226 मे वर्णित आराजी नं 1330 रकबा 2.66 हे. अवस्थित है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी एंव विपक्षी एक ही मूल पुरूष स्व.धनराज के वारीसान होकर उनके परिवार का पारिवारिक सजरा प्रार्थना पत्र मे वर्णितानुसार है। प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 की कृषि आराजीयात पाटनिया एंव सावा मे दर्ज रेकार्ड है । जो प्रार्थी एंव विपक्षी के संयुक्त कब्जे काश्त मे चली आ रही है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पैत्रिक कृषि भूमि दर्ज की गई है। जिस पर प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 01 की पैत्रिक कृषि आराजीयात है। जिसमे विपक्षी संख्या 01 प्रार्थी को बिना कब्जे के विक्रय करने की धमकिया दे रहा है । विवादित आराजीयात जिससे प्रार्थी काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे विवादित कृषि आराजीयात मे घोषणा करा उसी अनुसार विवादित कृषि आराजीयात का बटंवाडा कराये जाने का अधिकारी है। विवादित कृषि आराजीयात संयुक्त परिवार का हिस्सा निहित है फिर भी विपक्षी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होने से एंव विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी को उसके हक हिस्से से वंचित करने की नियत से विवादित आराजीयात को हस्तान्तरण कर प्रार्थी को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 24.06.2025 को विपक्षी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पर प्रार्थी के तन्हा कब्जे काश्त मे जबरन उराई का काम चालू कर दिया जिस पर प्रार्थी द्वारा पुरजोर विरोध करने पर जबरन प्रवेश नही कर सका। विपक्षी संख्या 01 के मन में बदनियति आ जाने से वादग्रस्त आराजीयात को जबरन विक्रय करने पर आमादा होकर प्रार्थी को उसके निहित हक हिस्से से वंछित रखने की नियत से वाद ग्रस्त आराजीयात को हस्तान्तरण कर प्रार्थी को विवादित कृषि आराजीयात से बेदखल करने पर आमादा है। अन्त मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि को ताफैसला वाद विपक्षी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पेश किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है। प्रार्थी मूल पुरूष स्व.धनराज जी का वारिस नही है। स्व.धनराज जी के

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(सीमू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वारिस उनका पुत्र स्व.कजोडीमल, उनकी पुत्री स्व.पार्वती व उनका पुत्र विपक्षी एक रामकुमार है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे प्रार्थी का कभी कोई कब्जा नही रहा है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मूल पुरूष स्व.धनराज जी स्वअर्जित आराजीयात थी। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से उनके पुत्र विपक्षी संख्या 01 रामकुमार के नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई । विपक्षी संख्या 01 पिता के खातेदार होकर जीवित रहते हुए प्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है। कब्जा भी नही है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विपक्षी संख्या 01 ने स्वंय की उपस्थिति मे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में ज्वार, मक्का, सोयाबीन की फसल की बुवाई करवाई है। विपक्षी संख्या 01 ही फसलो की देखरेख करता चला आ रहा है। चूंकि विपक्षी संख्या 01 रेकार्डेड खातेदार है तथा आराजीयात पर काबिज है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित ही नहीं होता है। राजस्व मण्डल तथा उच्च न्यायालयो एंव सर्वोच्च न्यायालय के सिद्वान्तों के अनुसार पिता के जीवनकाल में घोषणा एंव बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थी अधिकारी नही है।

<u>विशेष कथन :–</u>

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार किसी हिन्दू पुरूष की निर्वसीयती मृत्यु हो जाने पर अधिनियम की शिड्यूल प्रथम में वर्णित व्यक्तियों को ही उसकी सम्पत्ति न्यागत होगी। इस प्रकार मूल पुरूष धनराज जी की मृत्यु पर शिडयूल प्रथम में वर्णित व्यक्तियों (कजोडीमल, रामकुमार व पार्वती) को सम्पत्ति न्यागत हुई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की शिड्यूल प्रथम मे पुत्र, पुत्रिया, ,माता , पत्नी सहित अन्य कई व्यक्तियों को उत्तराधिकारी माना गया है। परन्तु पुत्र का पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में शिड्यूल प्रथम मे वर्णित नहीं किया गया है। स्व.धनराज के शिड्यूल प्रथम का उत्तराधिकारी विपक्षी संख्या 01 रामकुमार जीवित है ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार में रेकार्डेड खातेदार पिता की जीवित अवस्था में परिवार के किसी भी सहदायिक सदस्य दवारा संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय मे चलने योग्य नहीं है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(रीनू देवड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जब पैतृक कृषि आराजीयत के संबंध मे पिता के जीवित रहते सुयंक्त परिवार के किसी सहदायिक द्वारा किसी प्रकार का वाद/प्रार्थना पत्र न्यायालय आप मे ग्रहण करने योग्य ही नहीं है तो निश्चित रूप से वादी/प्रार्थी को कोई वाद हेतूक प्रकट ही नही होता है इसीलिए प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र/वाद में जो वाद हेतूक अंकित किया है वह वास्तिविक नहीं होकर काल्पनिक वाद हेतूक है। वास्तविक वाद हेतूक तो पिता के जीवित रहते प्रकट ही नहीं होता है। इसलिए वाद हेतूक के अभाव आदेश 7 नियम 11 ए सीपीसी के प्रावधान के अनुसार भी प्रार्थनापत्र/वादपत्र इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। जब वास्तिविक वाद हेतूक के अभाव में वााद ही प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नहीं है तो प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी हर सूरत में चलने योग्य नहीं होकर निरस्त होने योग्य है।

अन्त मे विपक्षी संख्या 01 रामकुमार की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने विशेष कथन का जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी रमेशचन्द्र का वाद वर्णित आराजीयात जो विपक्षी संख्या 01 को विरासत से प्राप्त हुई है। उसमें जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। पुत्र के पुत्र को भी उत्तराधिकारी में सम्मिलित किया गया है एंव विपक्षी संख्या 01 के निहित हक हिस्से मे से खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी है एंव हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम में भी पिता के जीवनकाल में ही हक हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है। प्रार्थी को वाद हेतूक मुखास्मत वाद कारण दिनांक 25.06.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 005 के द्वारा वादी के स्वामित्व से इंकार कर विवादित कृषि आराजीयात को हस्तान्तरकरण व वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में बेजा दखलअंदाजी व कब्जा दीनने का असफल प्रयास करने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अन्त मे प्रार्थी द्वारा विशेष कथन के जवाब को रिकार्ड पर लेकर विवादग्रस्त आराजीयात की मौका व रेकार्ड की यथास्थिति वाद के अंतिम निस्तारण तक बनाये रखने के आदेश फरमाया जाने का अनुरोध किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. 2014(2) आर.आर.टी. 2014 लिखमाराम बनाम छोटूदास
2. अरशनूर बनाम हरपल कौर

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner

इसी तरह विपक्षी की ओर से अपने जवाब के समर्थन मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किए :—

1. 2025(3) डी एन जे राजस्थान हाईकोर्ट पेज 1123
   मनोज शर्मा व अन्य बनाम पंकज शर्मा व अन्य
2. आर आर डी 1977 डी.बी. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पेज 306
   आशाराम बनाम रामरतन
3. 2022(2) आर आर टी पेज 1175 राजस्थान उच्च न्यायालय
   सुशील अग्रवाल बनाम अनिल अग्रवाल
4. 2020 आर आर डी पेज 246
   हरजिंदर कौर बनाम रिछपालसिंह
5. 2017 आर आर डी पेज 732
   अंकिता व अन्य बनाम ताराचंद व अन्य

पत्रावली नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष बहस हेतू पेश हुई। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पैतृक व पुश्तैनी होने से प्रार्थी को पैदाईशी अधिकार निहित है ऐसी सूरत जब तक मूल वाद का निस्तारण नही हो जाता है तब तक विपक्षी संख्या 01 अर्थात रामकुमार शर्मा को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुरोध किया।

इसके विपरित विपक्षी ने अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पैतृक न होकर मूल पुरूष स्व. धनराज जी की स्वअर्जित भूमि है। धनराज की मृत्यु के उपरान्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत धनराज जी की विरासत होने से उनके पुत्र स्व. कजोडीमल , पुत्री पार्वती एंव पुत्र विपक्षी संख्या 01 रामकुमार के नाम दर्ज रेकार्ड हुई है और अभी वर्तमान मे विवादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 01 कब्जा काश्त होकर अभिलिखित खातेदार के रूप मे दर्ज रेकार्ड है और खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही किए जाने का अनुरोध किया।

इसके साथ ही विपक्षी ने अपने जवाब के साथ वि ोश कथन मे यह आपत्ति जाहिर की है कि हिन्दू पुरूष की निर्वसीयती मृत्यु हो जाने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की शिड्यूल प्रथम में वर्णित व्यक्तियों को ही उसकी सम्पत्ति न्यागत

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner

होती है। इस प्रकार मूल पुरूष धनराज जी की मृत्यु पर शिडयूल प्रथम में वर्णित व्यक्तियों (कजोडीमल, रामकुमार व पार्वती) को सम्पत्ति न्यागत हुई। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की शिड्यूल प्रथम मे पुत्र, पुत्रिया, ,माता , पत्नी सहित अन्य कई व्यक्तियों को उत्तराधिकारी माना गया है। परन्तु पुत्र का पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में शिड्यूल प्रथम मे वर्णित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र/वाद मेन्टेनेबल नही होने से खारीज किए जाने योग्य है। इसके साथ ही अपने जवाब एंव विशेष कथन के समर्थन मे न्यायिक सिद्धान्त का हवाला देते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का अनुरोध किया।

उक्त विशेष कथन का जवाब देते हुए अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात विपक्षी संख्या 01 को विरासत से प्राप्त हुई है। उसमे प्रार्थी का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। पुत्र के पुत्र को भी उत्तराधिकारी मे सम्मिलित किया गया है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर उभयपक्षकारान की बहस पर चिन्तन व मनन किया। उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार तीन बिन्दूओ पर पारित किया जाता है।

1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला :-</u>

उक्त बिन्दू के विनिश्चय के लिए सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित कथन एंव सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । प्रार्थना पत्र एंव दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर हुआ है कि प्रश्नगत आराजी ग्राम पाटनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा के खाता संख्या 33 मे वर्णित आराजीयात 281, 282, 283, 480, 481, 484, 485, 486, 528, 535, 537 कुल किता 11 कुल रकबा 8.91 हे., खाता संख्या 175 मे वर्णित आराजीयात 536, 538 कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे. खाता संख्या 195 मे वर्णित आराजीयात 530, 531, 532 कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 हे. , खाता संख्या 188 मे वर्णित आराजीात 284, 285 कुल किता 02 कुल रकबा 2.44 हे. , खाता संख्या 32 मे वर्णित आराजीयात 534,

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

915/332 कुल किता 02 कुल रकबा 0.73 हे. , खाता संख्या 34 मे वर्णित आराजी न 533 रकबा 0.12 हे. एंव इसी तरह ग्राम सावा पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 680 मे वर्णित आराजी नं 1542 रकबा 0.95 हे ., खाता संख्या 226 मे वर्णित आराजी नं 1330 रकबा 2.66 हे. भूमि के जमाबन्दी मे वर्णित हक हिस्से अनुसार अभिलिखित खातेदार है। उक्त खातेदारी अधिकार जरिए विरासत से प्राप्त हुए है। ऐसी सूरत मे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे न होकर विपक्षी संख्या 01 के पक्ष मे है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>

उक्त बिन्दू के विनिश्चय के लिए प्रार्थना पत्र व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र मय पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र के सारवान पठन पाठन से यह बात तो जाहिर है कि प्रार्थी रमेशचन्द्र शर्मा , विपक्षी संख्या 01 रामकुमार का पुत्र है एंव उक्त कथन की पुष्टि भी स्वंय विपक्षी संख्या 01 ने अपने जवाब के अभिवचनो मे की है। उक्त कथनो से यह बात तो स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 01 , विपक्षी संख्या 01 के जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है जिसका विवादग्रस्त आराजीयात मे पैदाईशी हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे विपक्षी संख्या 01 के निहित हक हिस्से मे प्रार्थी का हक हिस्सा निहित होना प्रतीत होता है अत : उपरोक्त विस्तृत निर्णय से स्पष्ट है कि सुविधा का सन्तुलन विपक्षीगण के पक्ष मे न होकर प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

3. <u>अपूरणिय क्षति :–</u>

उक्त बिन्दू के विनिश्चय मे हमारे विनम्रमतानुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात पैतृक एंव पुश्तैनी होकर जरिए विरासत अपने पिता के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे अंकित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है ऐसी सूरत मे प्रश्नगत आराजीयात मे प्रार्थी का हक हिस्सा निर्धारित नही हो जाता है तब तक विपक्षी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जावे तो अपूरणिय क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नही है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(सोनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश मे उपरोक्त प्रथम बिन्दू विरूद्ध प्रार्थी एंव शेष दो बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे निर्णित होने से प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर **विपक्षी संख्या 01 (रामकुमार पिता धनराज ब्राहमण)** को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पाटनिया पटवार हल्का शम्भुपुरा के खाता संख्या 33 मे वर्णित आराजीयात 281, 282, 283, 480, 481, 484, 485, 486, 528, 535, 537 कुल किता 11 कुल रकबा 8.91 हे., खाता संख्या 175 मे वर्णित आराजीयात 536, 538 कुल किता 02 कुल रकबा 0.65 हे. , खाता संख्या 195 मे वर्णित आराजीयात 530, 531, 532 कुल किता 03 कुल रकबा 0.77 हे. , खाता संख्या 188 मे वर्णित आराजीात 284, 285 कुल किता 02 कुल रकबा 2.44 हे. , खाता संख्या 32 मे वर्णित आराजीयात 534, 915/332 कुल किता 02 कुल रकबा 0.73 हे. , खाता संख्या 34 मे वर्णित आराजी न 533 रकबा 0.12 हे. एंव इसी तरह ग्राम सावा पटवार हल्का शम्भुपुरा तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 680 मे वर्णित आराजी नं 1542 रकबा 0.95 हे ., खाता संख्या 226 मे वर्णित आराजी नं 1330 रकबा 2.66 हे. भूमि की ताफैसला वाद अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीस, व प्रार्थी के कब्जे काश्त मे कोई दखलअन्दाजी नही करे ना करावे एंव **विपक्षी संख्या 01 (रामकुमार पिता धनराज ब्राहमण)** उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे निहित स्वंय के हक हिस्से तक मौके एंव रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

Scanned with OKEN Scanner